



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 113 राँची, सोमवार,

21 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 फरवरी, 2022

संख्या-8/नीति-01/2014 का.1020--झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रथम अनुसूची में सचिवालय के विभाग एवं उनके संलग्न कार्यालय विनिर्दिष्ट हैं। वर्तमान में विभिन्न विभागों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने हेतु बहुतेरे प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन था, परन्तु किसी कार्यालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने हेतु सम्प्रति कोई मापदण्ड/शर्त निर्धारित नहीं होने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही थी ।

2. सरकार द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त किसी कार्यालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने हेतु निम्नांकित मापदण्ड/शर्तों का निर्धारण किया जाता है :-

- (i) झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन जिन कार्यालयों में कार्यालय प्रधान के रूप में सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित हों तथा उनके

अधीनस्थ वैसे सरकारी सेवक पदाधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हों, जिनका सम्बर्ग राज्य स्तरीय हो ।

- (ii) जिन कार्यालयों की संरचना एवं कार्य प्रकृति झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (**Jharkhand Rules of Executive Business, 2000**) तथा सचिवालय अनुदेश में वर्णित पद्धति से अच्छादित हो ।
- (iii) उस स्थिति में जब राज्य सरकार महसूस करती है कि विभाग के अधीन/सम्बद्ध कार्यालय को कार्य हित में सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किया जाना आवश्यक है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव ।
